एवं निदेशों को संस्था में क्रियान्वयन किया जा सकेगा। ... प्रबंध के आदेश·

भारत में न्याय-निर्णय बनाम सामूहिक सौदेबाजी

(Adjudication vs. Collective Bargaining in India)

भारत में इस बात पर बहुत विवाद रहा है कि क्या देश में अनिवार्य न्याय-निर्णय का स्थान सामूहिक सौदेबाजी द्वारा ले लिया जाना चाहिए ?

वी.वी. गिरि ने भारत में अनिवार्य न्याय-निर्णय को सामूहिक सौदेबाजी द्वारा बदलने का समर्थन किया था किंतु न्याय-निर्णय को सामूहिक सौदेबाजी की किसी पद्धति के द्वारा सहायक या तुरंत बदलना न तो ठीक ही है और न व्यावहारिक ही।

देश में अच्छे औद्योगिक संबंध केवल सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच आपसी समझ-बूझ एवं सद्भावना द्वारा ही बनाये जा सकते हैं।

देश में अनिवार्य न्याय-निर्णय के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी लागू करने की प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। किसी सौदेबाजी को सामूहिक सौदेबाजी की दिशा में यह घोषित करते हुए ले जाना चाहिए कि उसे औद्योगिक विवादों के निपटारे के ढंग में प्राथमिकता मिलेगी। प्रस्तावित परिवर्तन की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियां पैदा करनी होंगी। इस तरह के परिवर्तन की एक महत्त्वपूर्ण पूर्व-शर्त श्रम संघों को मान्यता देना है। जिसके लिए न केवल वैधानिक रूप से संतोषजनक व्यवस्थाएं करनी होंगी वरन् ऐसी स्थितियां भी पैदा करनी होंगी जिनसे इस तरह की व्यवस्थाओं की सफलता की गुंजाइश हो। किसी समय एवं कुछ परिस्थितियों में न्याय आवश्यक और उपयोगी हो सकता है।

Scanned with CamScan

26

बाल एवं महिला श्रम
(Child and Women Labour)

बाल श्रमिकों की समस्या
(Problem of Child Labour)

भारत में बाल श्रमिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है : (अ) **वैधानिक बाल श्रमिक :** वैधानिक रूप से बाल श्रमिकों के अंतर्गत वे ही मजदूर आते हैं जो न्यूनतम आयु से अधिक हैं और वयस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति निषेध है। अतः उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता। खदानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बागानों में 12 से 15 वर्ष तक के व्यक्तियों को बाल मजदूर कहा जाता है। (ब) **अवैधानिक बाल श्रमिक :** यह श्रेणी बहुत विस्तृत है इसके अंतर्गत असंगठित उद्योगों में लगे हुए बच्चे, खेतिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे आ जाते हैं जो गैरकानूनी ढंग से कारखानों, खदानों और बागानों आदि में अधिक उम्र दिखाकर भर्ती कर लिये जाते हैं। **श्रमशास्त्र के मुख्यतः वैधानिक बाल श्रमिकों की समस्याओं पर ही विचार किया जाता है।**

समस्या का स्वरूप
(Nature of the Problem)

अथवा

बाल श्रम का उपयोग क्यों बुरा है ?
(Why the Use of Child Labour is Condemnable?)

वी.वी. गिरि[1] ने उचित ही लिखा है कि बाल श्रमिक शब्द की व्याख्या सामान्यतः दो तरह से की जाती है : (अ) एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में, और (ब) एक सामाजिक बुराई के रूप में। प्रथम संदर्भ में बाल श्रमिक आर्थिक क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार को बताता है। इससे परिवार की आय बढ़ती है। दूसरे संदर्भ में बाल श्रमिक उन बुराइयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के कारण पनपते हैं। आधुनिक समय में बाल श्रम शब्द सामाजिक बुराइयों को ही बताता है।

1. *Labour Problems in India Industries.* —V.V. Giri

Scanned with CamScanner

बाल श्रम का उपयोग सामान्यत: बुरा नहीं है, परंतु जिन परिस्थितियों एवं जिन शर्तों पर इन्हें कार्य पर लगाया जाता है वह बुरा है। इस संबंध में यह कहावत ठीक जान पड़ती है: "बचपन में काम करना सामाजिक अच्छाई है और राष्ट्रीय हित में है। लेकिन बाल श्रम एक सामाजिक बुराई और राष्ट्रीय अपव्यय भी है।" सामाजिक अच्छाई से अथवा बुराई से हमारा आशय यह है कि जब तक किसी भी वस्तु का सदुपयोग होता है, वह सामाजिक हित कहलाती है। किंतु जब उनका दुरुपयोग होने लगता है तब वह सामाजिक बुराई का कारण बन जाती है। समाज के लिए यह अच्छी ही बात है कि समाज में कोई व्यक्ति बेकार न बैठे, सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करें। बच्चे भी कार्य करें यह सामाजिक हित की बात है और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। परंतु बाल श्रमिकों को काम में लगाकर जिस रूप में उनका शोषण किया जाता है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं से उन्हें दूर रखा जाता है और जिस रूप में उनके नैतिक पतन का पथ प्रशस्त किया जाता है वह वास्तव में एक भयंकर सामाजिक बुराई है। यदि बच्चों की कोमलता को निर्दयता से कुचल दिया जाये, उनकी महत्वाकांक्षाओं का गला घोंट दिया जाये तो हम उससे औद्योगिक समृद्धि की आशा नहीं कर सकते।" बच्चों के श्रम का उनके स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। जिस प्रकार का कार्य बच्चों से उद्योगों में लिया जाता है, उनका उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों के इस प्रकार के काम करने से परिवार के सामान्य जीवन में बाधा पहुंचती है व सामाजिक नियंत्रण टूटने लगता है जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती और उनका बौद्धिक विकास रुक जाता है। इस प्रकार अंतिम रूप से देखने पर बच्चे नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों में अत्यधिक लाभदायकपूर्ण ढंग से भाग नहीं ले पाते।"

बाल श्रम की समस्या का एक आर्थिक पहलू भी है। बच्चों को काम पर लगाने का अर्थ यह है कि हम उद्योगों में श्रम को उसकी न्यूनतम उत्पादकता के बिंदु पर उत्पादन करने में लगाते हैं और इसलिए यह श्रमशक्ति का अकुशल प्रयोग हुआ। समाज को इससे आर्थिक हानि होती है। साथ ही जिन कार्यों को पुरुष अधिक कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं वे यदि छोटे छोटे बच्चों को सौंप दिये जाते हैं तो निश्चय ही उत्पादन कुप्रभावित होगा। छोटी आयु के कारण बच्चों में पुरुषों की अपेक्षा ज्ञान और अनुभव दोनों ही कम होते हैं। अत: वे पुरुषों के बराबर उत्पादन करने में सदैव ही असमर्थ रहते हैं।

अत: सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके बाल श्रम का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

बाल श्रम को रोजगार पर लगाने के कारण
(Reasons for the Employment of Child Labour)

1. **निर्धनता** (Poverty) : भारत में बालकों को कार्य पर लगाने का सर्वप्रमुख कारण भारतीय श्रमिकों की निर्धनता है। भारत में मां-बाप बहुधा इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और उनके लिए खाने-पहनने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अत: वे चाहते हैं कि बच्चे कुछ कमा कर लायें और उनकी आर्थिक सहायता करें। देश की वर्तमान परिस्थितियों में निर्धन एवं असहाय माता-पिता के यह तर्क बिलकुल निरर्थक नहीं हैं।

2. **कुटीर उद्योगों का पतन** (Decline of cottage industries) : भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखने का दूसरा प्रमुख कारण कुटीर उद्योग धंधों का पतन है। पहले बाल्यावस्था से ही बच्चे घर के कुटीर धंधों में हाथ बंटाते थे, परंतु औद्योगीकरण के साथ साथ जब गृह उद्योगों का पतन हुआ तो घर के अन्य लोगों के साथ बच्चों को भी अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

3. **उद्योगपतियों को लाभ** (Benefits to industrialist) : उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से बालकों को रोजगार पर लगाना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि सेवायोजक बच्चों को सरलता से अनुशासन में रख सकते हैं, उनको कम मजदूरी दे सकते हैं और अधिक काम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेवायोजकों को यह निश्चितता रहती है कि बाल श्रमिकों में संगठन का सर्वथा अभाव है और अपने अधिकारों के संबंध में वयस्कों की भांति जागरूक भी नहीं है। इसलिए उनमें मोलभाव करने की शक्ति बहुत कम होती है।

4. **नियमों की शिथिलता** (Non-implementation of laws) : भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है और इनके लिए बहुत से अधिनियम भी पारित किये गये हैं परंतु उनका उचित रूप से पालन नहीं होता है। बाल श्रमिकों के अभिभावक

Scanned with CamScanner

और सेवायोजक झूठे डॉक्टरी प्रमाण-पत्र व रिश्वत आदि के द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं, इसलिए कुछ उद्योगों में बालकों को अब भी अवैध रूप से रोजगार में लगाया जाता है।

5. **अन्य कारण** (Other Causes) : भारत में बालकों को रोजगार पर लगाये जाने के कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं :

(अ) भारत में रोजगार बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य सुविधाओं का नितांत अभाव है। अत: परिवार के बालकों, स्त्रियों सभी को नौकरी करने भेजकर लोग आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करते हैं।

(ब) भारत में ऐसी भी कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार एक निश्चित आयु तक बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी जरूरी हो।

(स) कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण सभी को लाभदायक रोजगार देना संभव नहीं है इसलिए कुछ तरुण व बालक मिल या अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

(द) भारत में बालकों को नौकरी पर इसलिए भी भेज दिया जाता है कि यहां पर कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं।

(य) निरंतर बढ़ती हुई कीमतों के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने में सर्वथा अपने को असमर्थ पा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को भी कार्य में लगाने के लिए बाध्य हो गया है।

इसके अतिरिक्त **पद्मिनी सेन गुप्त** ने लिखा है कि बड़े बच्चों को, शिशु गृहों के अभाव में उनके काम पर जाने के बाद की अनुपस्थिति के काल में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी रखा जाता था। इस संबंध में इनका यह उल्लेख विशेष रूप से विचारणीय है : "वास्तव में, श्रमिक स्त्रियों के बच्चों, इनकी शिक्षा, पोषण और लालन-पालन की समस्या कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। श्रमिकों के बच्चों की समस्या अपने में विशेष महत्त्व की है।"

Scanned with CamScanner